INDEX

Calling Attention Notice No. 14 attached with Calling Attention No. 22, 28 and 34

Listed on 19.12.2023

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply of Calling Attention Notice No. 14 attached with Calling Attention No. 22, 28 and 34 (in English)	1-6
2.	Reply of Calling Attention Notice No. 14 attached with Calling Attention No. 22, 28 and 34 (in Hindi)	7-12

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, जींद जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि अभी हाल ही, जींद जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न के कई मामले प्रकाश में आये है। कई छात्राओं ने तो जांच कमेटी के सामने जाकर अपने ब्यान दर्ज करवाए है, परन्तु बहुत सारी छात्राएं ऐसी भी रही होगी जो सामाजिक दवाब के कारण सामने नही आ पा रही। यह मामला ओर भी संगीन हो जाता है, जब स्कूल के प्राचार्य द्वारा यह घिनौना कृत्य किया गया हो। इस मामले में पिछले वर्ष भी छेड़छाड़ की शिकायते आई थी, जिन पर उस समय कोई कार्यवाही नही की गई। क्योकि प्राचार्य द्वारा किये गए इस कृत्य में उनके स्टाफ के लोग भी जरूर संलिप्त रहे होंगे अन्यथा यह मामला जल्दी भी उजागर हो सकता था। प्रदेश में जहां सरकार यह नारा दे रही है कि बेटी बचाओं, बेटी पढाओं परन्तु सरकारी मशीनरी ही बेटियों के यौन शोषण को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। यह एक गंभीर मसला है तथा इस तरह के मामले भविष्य में न आए, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 के द्वारा श्री बलराज कुडूं विधायक, हरियाणा के स्कूलों में सुविधाओं की कमी व बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई–कोर्ट ने काफी गंभीर टिप्पणी की है कि हरियाणा के स्कूलों में सुविधाओं की कमी व बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह स्वंय माना है कि हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी और 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन व 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नही है। हालात इतने बुरे है कि बच्चों को बैठने के लिए 8240 कमरों की कमी है। 27 हजार अध्यापकों के स्थाई पद खाली पड़े है, जबकि शिक्षा विभाग ने 10 हजार 275 करोड़ रूपये की ग्रांट बिना उपयोग किए वापस कर दी, क्या ऐसे बेटी बचाओं बेटी पढाओं का सपना पूरा होगा। माननीय सदस्य का माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते है कि इस गंभीर विषय को लेकर सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 के द्वारा, श्री भरत भूषण बत्तरा विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री आफताब अहमद विधायक एवं श्री वरूण चौधरी विधायक, हरियाणा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले, विद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा एवं विद्यालय में छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के अभाव बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते है कि वर्ष 2015 में हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले में देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा छात्राओं के लिए बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं के अभियान की शुरूआत की गई थी, परन्तु अब प्रदेश में इसकी वास्तविक स्थिति बेहद ही दुखद एवं शर्मशार साबित हुई है। पिछले छह वर्षों में जींद जिले में 142 छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण के मामले हाल ही में उजागर हुए है, लेकिन सरकार ने इस संबंध में दिखावे के लिए ही कार्यवाही की है। सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ बढ़ते यौन शोषण के मामले में उनके अभिभावकों की रातों की नींद उड़ा दी है। इसके अलावा प्रदेश के विद्यालयों में छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली एवं विद्यालय परिसर/सीमा में सुरक्षा इत्यादि का अभाव है। सरकार इस बारे में कोई सुधारात्मक कदम नही उठा पा रही है। यह स्थिति प्रदेश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। सरकार नई शिक्षा नीति–2020 के तहत छात्राओं को उचित सुरक्षा देने में असफल साबित हुई है। सरकार केन्द्र एवं प्रदेश की योजनाओं के तहत विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता में भी सुधार नही कर पाई है और विद्यालयों के लिए आधारभूत संरचना के बजट का भी सही तरीके से अमल में नही ला पा रही है। अतः सरकार उपरोक्त विषय पर इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 के द्वारा, श्री नीरज शर्मा विधायक, स्कूलों में सुविधाओं की कमी एवं बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते है कि हरियाणा में स्कूलों में सुविधाओं की काफी कमी है, जिसके कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा दिन प्रतिदिन स्कूलों में बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतें आ रही है। सरकार सदन को बताये कि स्कूलों में सुविधाओं को पूर्ण करने एंव बेटियों की रक्षा के लिये क्या कदम उठा रही है।

REPLY

SH. KANWAR PAL, SCHOOL EDUCATION MINISTER, HARYANA

Sir, the matter of sexual harassment in Government Girls Senior Secondary School, Uchana Mandi (Jind) by Sh. Kartar Singh, Principal of said school is in the notice of the Government and concrete steps have been taken by the Government in this case. After the matter came into the notice of the Government, the delinquent Principal was suspended on 27.10.2023. When the allegations of sexual harassment were found prima facie proved, he was dismissed from service w.e.f. 11.12.2023. Further, after examination of the preliminary enquiry reports and considering the gravity of the matter, 17 staff members of Government Girls Senior Secondary School, Uchana Mandi (Jind) were also transferred from the school to the other schools.

The Government is committed to ensure safety and security of all school going children especially girl students. The Government is running training and self defence programmes, especially for girl students of the Government schools to educate and empower them regarding prevention of sexual abuse. Under the program namely 'Rani Laxmibai Atma Raksha Prashikshan Program', approximately 1,25,000 girl students of class 6th to 12th have been trained for self-defense in the academic year 2021-22. Approximately 1,00,000 girl students of class 6th to 12th were trained in the academic year 2022-23 and approximately 87,000 girls students of class 6th to 12th have already been trained in the year 2023-24 against the target of 1,25,000. The remaining students would be trained by the end of

academic session. To provide a safe environment for the children in the schools, the Government has also decided as under:-

- A joint sensitization programme is being prepared to sensitize all the teachers of the State Government schools in collaboration with Women & Child Development Department Haryana.
- All the Principals, Headmasters and ESHMs will be trained on POCSO and POSH Acts during December, 2023 & January, 2024.
- Prevention of Sexual Harassment has been incorporated in the monthly monitoring format of DEOs, DEEOs, DIETs, BEOs, BRPs and ABRCs.

Regarding basic facilities & infrastructure in Government schools, in compliance of the orders dated 15.03.2023 passed by the Hon'ble High Court in the CWP No. 23384 of 2017 titled as Amarjeet Singh and others Vs. State of Haryana and others, data pertaining to budgetary allocation, expenditure and excess/ surrendered of the budget of the School Education Department for the Financial Years 2012-13 to 2022-23 was provided to the Hon'ble High Court vide affidavit dated 17.05.2023.

Vide the above said affidavit, the Hon'ble High Court was apprised that drinking water facilities in 131 schools, 236 electricity connections, 1047 boys toilets and 538 girls toilets was required to be provided as basic facilities in Government schools. To meet out this requirement, the School Education Department had issued funds to the tune of Rs. 49.00 Crore for rectifying deficiencies with respect to basic amenities on priority basis on 26.05.2023/31.05.2023/ 04.06.2023, and basic amenities in all the schools i.e. drinking water

in 131 schools, boys toilets in 1047 schools, girls toilet in 538 schools and electricity connection in 236 schools have been provided.

The Government is committed to provide all requisite infrastructure to Government schools and making continuous endeavour for the same. The Department of School Education has received Rs. 580 Crore from the Finance Department in 2023-24 including supplementary budget of Rs. 300 Crore on 30.10.2023. Out of this available budget, the department has issued sanction of approx. Rs. 317 Crore and for the remaining amount sanctions are under advance stages.

Against the requirement of additional class rooms (8240), other rooms (5630) & boundary wall (321), the total 4506 components (Additional class rooms, other rooms and boundary walls) have been approved. Out of these, 663 components have been completed, 1604 components are in progress and 2239 components are under tendering process. Approx. 1000 components are likely to be sanctioned in the current financial year. The Government shall make efforts to fulfill the requirement at the earliest possible.

During the last 10 years i.e. from 2012-13 to 2022-23 an amount of Rs. 118312.83 Crore (revised budget) was allocated against the estimated budget of Rs. 129203.13 Crore including funds for Centrally Sponsored Schemes. Total funds to the tune of Rs. 107636.84 Crore were utilized by the Department of School Education during the said period. An amount of Rs. 10675.99 Crore out of the revised budget of Rs. 118312.83 Crore remained un-utilized during all

these years. This non-utilization was on account of various saving measures, non-exhaustion of salary component etc.

As far as, vacancy position of teachers is concerned at present, 26303 posts of Teachers are lying vacant in the Government Schools of the State. The Government is committed to filling up the vacancies at the earliest. Requisitions of 12101 posts of PGTs and TGTs have already been sent to the recruiting agencies for selections for regular appointment and 8446 posts have been sent to Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited for engaging teachers on contract basis to meet the shortage of teachers. The vacant posts of teachers meant to be filled by promotion will also be filled up through promotion shortly. Thus, the Government is taking all the necessary steps to provide teachers in every Government school.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, जींद जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि अभी हाल ही, जींद जिले के सरकारी स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न के कई मामले प्रकाश में आये है। कई छात्राओं ने तो जांच कमेटी के सामने जाकर अपने ब्यान दर्ज करवाए है, परन्तु बहुत सारी छात्राएं ऐसी भी रही होगी जो सामाजिक दवाब के कारण सामने नही आ पा रही। यह मामला ओर भी संगीन हो जाता है, जब स्कूल के प्राचार्य द्वारा यह घिनौना कृत्य किया गया हो। इस मामले में पिछले वर्ष भी छेड़छाड़ की शिकायते आई थी, जिन पर उस समय कोई कार्यवाही नही की गई। क्योकि प्राचार्य द्वारा किये गए इस कृत्य में उनके स्टाफ के लोग भी जरूर संलिप्त रहे होंगे अन्यथा यह मामला जल्दी भी उजागर हो सकता था। प्रदेश में जहां सरकार यह नारा दे रही है कि बेटी बचाओं, बेटी पढाओं परन्तु सरकारी मशीनरी ही बेटियों के यौन शोषण को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। यह एक गंभीर मसला है तथा इस तरह के मामले भविष्य में न आए, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 के द्वारा श्री बलराज कुडूं विधायक, हरियाणा के स्कूलों में सुविधाओं की कमी व बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई–कोर्ट ने काफी गंभीर टिप्पणी की है कि हरियाणा के स्कूलों में सुविधाओं की कमी व बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह स्वंय माना है कि हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी और 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन व 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नही है। हालात इतने बुरे है कि बच्चों को बैठने के लिए 8240 कमरों की कमी है। 27 हजार अध्यापकों के स्थाई पद खाली पड़े है, जबकि शिक्षा विभाग ने 10 हजार 275 करोड़ रूपये की ग्रांट बिना उपयोग किए वापस कर दी, क्या ऐसे बेटी बचाओं बेटी पढाओं का सपना पूरा होगा। माननीय सदस्य का माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते है कि इस गंभीर विषय को लेकर सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 के द्वारा, श्री भरत भूषण बत्तरा विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री आफताब अहमद विधायक एवं श्री वरूण चौधरी विधायक, हरियाणा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले, विद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा एवं विद्यालय में छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के अभाव बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते है कि वर्ष 2015 में हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले में देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा छात्राओं के लिए बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं के अभियान की शुरूआत की गई थी, परन्तु अब प्रदेश में इसकी वास्तविक स्थिति बेहद ही दुखद एवं शर्मशार साबित हुई है। पिछले छह वर्षों में जींद जिले में 142 छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण के मामले हाल ही में उजागर हुए है, लेकिन सरकार ने इस संबंध में दिखावे के लिए ही कार्यवाही की है। सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ बढ़ते यौन शोषण के मामले में उनके अभिभावकों की रातों की नींद उड़ा दी है। इसके अलावा प्रदेश के विद्यालयों में छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे छात्राओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली एवं विद्यालय परिसर/सीमा में सुरक्षा इत्यादि का अभाव है। सरकार इस बारे में कोई सुधारात्मक कदम नही उठा पा रही है। यह स्थिति प्रदेश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। सरकार नई शिक्षा नीति–2020 के तहत छात्राओं को उचित सुरक्षा देने में असफल साबित हुई है। सरकार केन्द्र एवं प्रदेश की योजनाओं के तहत विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता में भी सुधार नही कर पाई है और विद्यालयों के लिए आधारभूत संरचना के बजट का भी सही तरीके से अमल में नही ला पा रही है। अतः सरकार उपरोक्त विषय पर इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 के द्वारा, श्री नीरज शर्मा विधायक, स्कूलों में सुविधाओं की कमी एवं बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते है कि हरियाणा में स्कूलों में सुविधाओं की काफी कमी है, जिसके कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा दिन प्रतिदिन स्कूलों में बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतें आ रही है। सरकार सदन को बताये कि स्कूलों में सुविधाओं को पूर्ण करने एंव बेटियों की रक्षा के लिये क्या कदम उठा रही है।

उत्तर

श्री कंवर पाल, स्कूल शिक्षा मंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना मंडी (जींद) में उक्त विद्यालय के प्राचार्य श्री करतार सिंह, द्वारा किये गये यौन उत्पीड़न का मामला सरकार के संज्ञान में है एवं सरकार द्वारा इस मामले में ठोस कदम उठाए गए हैं। मामला सरकार के संज्ञान में आते ही दोषी प्राचार्य को दिनांक 27.10.2023 को निलम्बित कर दिया गया था। जैसे ही प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न के आरोप प्रमाणित हुये, उसे दिनांक 11.12.2023 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अध्ययन उपरांत तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना मंडी (जीन्द) के 17 स्टाफ सदस्यों को भी इस विद्यालय से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया।

सरकार विद्यालय जाने वाले सभी बच्चों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्कूली छात्रों विशेषकर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को शिक्षित एवं सशक्त करने के लिये विभिन्न प्रशिक्षण और आत्मरक्षा कार्यक्रम चला रही है, ताकि विद्यालयों में यौन शोषण को रोका जा सके। इसी क्रम में **'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम'** के तहत, शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में कक्षा 6वीं से 12वीं की लगभग 1,25,000 छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2022–23 में कक्षा छठी से बारहवीं की लगभग 1,00,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया था एवं वर्ष 2023–24 में 1,25,000 छात्राओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस वर्ष, अब तक कक्षा छठी से बारहवीं की लगभग 87,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है व शेष छात्राओं को इस शैक्षणिक सत्र के अंत

तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। विद्यालयों में बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी लिये गये हैं:–

- महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के सहयोग से राज्य के सरकारी विद्यालयों के सभी शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए एक संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
- दिसंबर, 2023 एवं जनवरी, 2024 के दौरान सभी प्राचार्यों, मुख्याध्यापकों एवं मौलिक मुख्याध्यापकों को POCSO और POSH अधिनियमों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- यौन उत्पीड़न की रोकथाम को डी0ई0ओ0, डी0ई0ई0ओ0, डाईट, बी0ई0ओ0, बी0आर0पी0 और ए0बी0आर0सी0 के मासिक निगरानी प्रारूप में शामिल किया जा चुका है।

राजकीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के सम्बंध में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 23384 आफ 2017 – अमरजीत सिंह व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.2023 की अनुपालना में, वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2022–23 के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग के बजटीय आवंटन, व्यय और अतिरिक्त/सरेंडर बजट से संबंधित डाटा माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 17.05.2023 के शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा चुका है।

उपरोक्त शपथ पत्र के माध्यम से, माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करवाया गया था कि सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के रूप में 131 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा, 236 में बिजली कनैक्शन, 1047 में लड़कों के शौचालय तथा 538 में लड़कियों के शौचालय उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है। इस

आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 26.05.2023/31.05.2023/04.06.2023 को सभी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 49.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी एवं 131 स्कूलों में पीने का पानी, 1047 स्कूलों में लड़कों के शौचालय, 538 स्कूलों में लड़कियों के शौचालय तथा 236 स्कूलों में बिजली कनैक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

सरकार सभी राजकीय विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है एवं इसके लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। विद्यालय शिक्षा विभाग को वर्ष 2023–24 के लिये वित्त विभाग से दिनांक 30.10.2023 को 300 करोड़ के अनुपूरक बजट सहित बजट के रूप में कुल 580 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं। इस उपलब्ध बजट में से विभाग द्वारा अब तक लगभग 317 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा शेष राशि की स्वीकृतियां जल्द जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

कुल 8240 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 5630 अन्य कक्ष एवं 321 चारदीवारी की आवश्यकता के विरूद्ध, 4506 कम्पोनेंट (अतिरिक्त कक्षा कक्ष, अन्य कमरे और चारदीवारी) स्वीकृत किये जा चुके है। इनमें से 663 कम्पोनेंट पूरे हो चुके हैं, 1604 कम्पोनेंट प्रगति पर हैं तथा 2239 कम्पोनेंट टेंडरिंग की प्रक्रिया में हैं। चालू वित्त वर्ष में लगभग 1000 कम्पोनेंट मंजूर किये जाने की संभावना है। सरकार द्वारा आवश्यकताओं को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

पिछले 10 वर्षों में 2012–13 से 2022–23 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित अनुमानित बजट 129203.13 करोड़ रुपये के विरूद्ध 118312.83 करोड़ रूपये (संशोधित बजट) की राशि आवंटित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान विद्यालय

शिक्षा विभाग द्वारा कुल 107636.84 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया गया था। इन वर्षों के दौरान 118312.83 करोड़ रुपये के संशोधित बजट में से 10675.99 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया जा सका। यह गैर–उपयोगिता विभिन्न बचत उपायों, वेतन घटक की गैर–खपत आदि के कारण थी।

जहां तक वर्तमान में शिक्षकों के रिक्त पदों का प्रश्न है, तो राज्य के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 26303 पद रिक्त हैं। सरकार रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमित नियुक्ति हेतु पी0जी0टी0 एवं टी0जी0टी0 के 12101 पदों हेतु मांग पत्र पहले ही भर्ती एजेंसियों को भेजा जा चुका है एवं शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों के 8446 खाली पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पद भी शीघ्र ही शिक्षकों की पदोन्नति से भर लिये जायेंगे। इस प्रकार, सरकार प्रत्येक सरकारी विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

.....